

2017/00011

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

करने का दुरुशय किया है।
जमक हजारी श. 1, 2, 6, 8 का
किया जा रहा है। पञ्जाब की कानून कक्षा
7, दिनांक 3.4.19 को फेरल है।

3-4-19

दलील प्रस्तुत उपस्थित पञ्जाब की
कानून कक्षा 7, दिनांक 24.4.19
को फेरल है।

24.4.19

दलील प्रस्तुत उपस्थित पञ्जाब की
7, पर कक्षा उपस्थित सुनी जरी
प्रमाणित के माइनर हजारी श. नं. 6164
रकबा 0.0450 है. श. नं. 6165 रकबा
0.0500 है. श. नं. 6166 रकबा 0.0300 है
श. नं. 6167 रकबा 0.0450 है. श. नं.
6168 रकबा 0.0200 है. यदि जाम
रकबा के प्रमाणित रकबा है तब
हजारी श. नं. 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4
4, 6 व 7, 8. ने पुनः निर्माण कर
नवा निर्माण कार्य शुरू कर कदम करने
पर जा रहा है। अतः मादरे कानून का
उक्त हजारी श. नं. का जायेगी हफ्तवारी
निर्माण के लिये किया जा रहा है
कि वे जाम रकबा की दुरुशय पञ्जाब की
श. नं. 6164, 6165, 6166, 6167. व
6168 में प्रमाणित के कदम करने से
किसी प्रकार की कायदा पैदा नहीं करे
न ही किसी प्रकार का नवा निर्माण
न ही हफ्तवारी न हफ्तवारी किसी है
कराये। पञ्जाब की कानून कक्षा को
दोनों ही पञ्जाब की के साथ उपस्थित है।

मनोज कुमार वर्मा
उप जिला कलेक्टर
मलारना बंगर